राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद्

2, संस्थानिक क्षेत्र, दैनिक भास्कर कार्यालय के पास, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर – 302017 फोन – 2703695

गौरव बजाड़
अध्यक्ष

अजय असवाल
कार्यकारी अध्यक्ष

प्रवीण कुमार
महासचिव

क्रमांकः– राप्रसेप / 2024–25 / M-7 दिनांक :– 04.07.2024

मीटिंग नोटिस

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् की साधारण सभा की बैठक दिनांक 20.07.2024 (शनिवार) को सांय 06:00 बजे RAS क्लब के बैंक्वेट हॉल में आयोजित की जाएगी।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में नियत समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्न : एजेण्डा नोट।

(गौरव बजाड़)
अध्यक्ष
राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद्

एजेण्डा नोट

1. विधान के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित अथवा पदोन्नत अधिकारी उक्त संगठन का सदस्य होगा। संगठन के सदस्यों का सदस्यता शुल्क 500/– रूपये वार्षिक होगा एवं उक्त सदस्यता शुल्क संगठन की कार्यकारिणी के द्वारा प्रस्ताव लेकर कम या अधिक किया जा सकेगा। इस संबंध में सदस्यता शुल्क लिए जाने अथवा इसका स्थाई रूप से परिहार किए जाने पर निर्णय लिया जाना है।
2. विधान के अनुच्छेद 14(4) में प्रावधान है कि मतदान करने का अधिकार उसी सदस्य को होगा जिसका वार्षिक सदस्यता शुल्क जमा होगा। निर्वाचक मण्डल मतदाता सूची प्रकाशित करते समय इस तथ्य को सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची में उसी मतदाता का नाम सम्मिलित हो, जिसका सदस्यता शुल्क जमा हो। इस संबंध में सदस्यता शुल्क के स्थाई रूप से परिहार किए जाने पर निर्णय लिया जाना है।
3. विधान के अनुच्छेद 14(5) में प्रावधान है कि साधारण सभा की बैठक दिवस को अध्यक्ष पद हेतु किसी एक व्यक्ति के नाम पर सहमति नहीं होने पर उसी दिन गुप्त मतपत्र के माध्यम से अध्यक्ष के निर्वाचन का प्रक्रिया निर्वाचन मण्डल द्वारा सम्पन्न करवाई जायेगी। इस संबंध में परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव ऑनलाईन अथवा परम्परागत ऑफलाईन मतदान पद्वति से करवाए जाने पर निर्णय लेना है।
4. राजस्थान प्रशासनिक सेवा संगठन के आगामी चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल का गठन के आदेश का अनुमोदन।
5. राजस्थान प्रशासनिक सेवा संगठन के निर्वाचन हेतु अधिवेशन/साधारण सभा की तिथि का निर्धारण।
6. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से